न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), औरैया।

परिवाद संख्या : 1108/2022

धारा : 12 घरेलू हिंसा अधिनियम

नीलम बनाम मनीष कुमार आदि

दिनांकः 09.08.2024 लंच बादः–

पत्रावली पेश हुयी। पुकारा गया। प्रार्थिनी अनुपस्थित। बार–बार पुकार पर भी प्रार्थिनी उपस्थित नहीं आयी।

सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी.,
महिलाओं के विरूद्ध अपराध,
औरैया।

दिनांकः 09.08.2024 (4.00 पी.एम.)–

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थिनी अनुपस्थित। प्रार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता या कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र उत्तरपत्र वास्ते नियत चल रहा है। न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रार्थिनी को उपस्थिति हेतु कई बार अंतिम अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। चूंकि प्रार्थिनी कई तिथियों से अनुपस्थित चल रही है, जिस कारण पत्रावली में आगे कार्यवाही नहीं हो पा रही है। न्यायालय द्वारा लगातार प्रार्थिनी को वाद की पैरवी हेतु लगातार अंतिम अवसर दिया जा रहा है। परंतु आज भी प्रार्थिनी अनुपस्थित है। किसी भी वाद को अंनत काल तक नहीं चलाया जा सकता है। अतः उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद सं–1108/2022 प्रार्थिनी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०
महिलाओं के विरुद्ध अपराध
औरैया।